भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 06/08/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार,

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्याः ए डी (ओआई) -08/2023

दिनांकः 20 सितंबर, 2023

विषय: चीन जन.गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. मै. अतुल लि. (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने 1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है ।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "सल्फर ब्लैक" हैं । सल्फर ब्लैक का प्रयोग मुख्यत: डाइंग सेल्युलोज फाइबर, विस्कोस स्टेपल फाइबर और यार्न के लिए किया जाता है । इसे या तो पावडर रूप में या तरल रूप में उत्पादित किया जाता है । इसके उत्पादन के रूप पर विचार किए बिना इसे किसी खास अतिरिक्त लागत के बिना एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है । विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न दृढ़ताओं में उत्पादित किया जाता है । इन दृढताओं को बीआर 100, बीआर 200, बीआर 220, बीआर 240, आदि के रूप में वर्णित किया जाता है । बीआर 220 को मानत दृढ़ता निर्दिष्ट किया गया है । यद्यपि, उत्पाद को विभिन्न दृढ़ताओं में उत्पादित किया जाता है, तथापि उनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है ।

4. सल्फर ब्लैक का प्राथमिक रूप से डाइंग सेल्युलोज फाइबर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे डाइंग विस्कोस स्टेपल फाइबर और यार्न, पेपर और लेदर के लिए भी प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद का प्राथमिक अनुप्रयोग वस्त्र, कागज और चमड़ा क्षेत्रों में है ।

5. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 32 के एच एस कोड 32041967 के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है । तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि पीयूसी का आयात अन्य उप शीर्षों अर्थात 32041196, 32041218, 32041911, 32041925, 32041958, 32041964, 32041969, 32041979 और 32049000 के अंतर्गत ही किया गया है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार पीयूसी तथा पीसीएन के निर्माण के लिए अपने प्रस्ताव, यदि कोई हों, के संबंध में इस जांच की शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं ।

आयात आंकड़ों का स्रोतऔर मात्रा की गणना की पद्धति

7. प्राधिकारी ने डी जी सिस्टम से सौदावार आयात आंकड़े प्राप्त किए हैं । प्राधिकारी ने आयात मात्रा, मूल्य और पहुंच कीमत के लिए डी जी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है । यह नोट किया जाए कि आयातित उत्पाद विभिन्न दृढ़ताओं जैसे बीआर 220, बीआर 200 आदि का है । तथापि, समतुल्य मात्रा ज्ञात करने के लिए आवेदक ने प्रस्ताव किया है कि आयात मात्राओं को बीआर 220 की सबसे अधिक सामान्य तौर पर व्यापार की गई दृढ़ता में परिवर्तित किया जाए । आयात आंकड़ों के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई है :

क्र.सं.	आयात प्रकार	दृढ़ता	फार्मूला
1	बीआर 220	100%	220/220*100
2	बीआर 100	45%	100/220*100
3	बीआर 240	109%	240/220*100
4	बीआर 200	91%	200/220*100
5	बीआर 260	118%	260/220*100
6	बीआर 160	73%	160/220*100

8. प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियों के आधार पर आंकड़ों के परिवर्तन या पीसीएन वार विश्लेषण की आवश्यकता के लिए भी अन्य पद्धति को अपनाने की आवश्यकता की भी जांच कर सकते हैं ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

9. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित किए जाने के लिए आरोपित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण

और विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं । उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग कर रहे हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" के रूप में माना गया है ।

ग. <u>संबद्ध देश</u>

10. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

11. आवेदक ने दावा किया है कि उन्होंने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही वे चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित हैं । इसके अलावा, एप्लिकेशन को महादेव डाइज एंड केमिकल्स, खेकड़ा केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एपीसीओ डाई केम प्रा. लिमिटेड, और मौलिक डाइकेम द्वारा भी समर्थित किया गया है। रिकॉर्ड में सूचना पर विचार करते हुए आवेदक का भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा 70% से भी अधिक बनता है । उक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

ड. <u>कथित पाटन का आधार</u>

सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) के अनुसार चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन में प्रचलित लागतों या घरेलू बिक्री कीमतों के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जाए यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाएं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडीडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार इसकी

उचित तुलना करें । ऐसा नहीं होने पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

13. आवेदक ने चीन को छोड़कर वैश्विक रूप से विभिनन देशों से तुर्की में आयातित विचाराधीन उत्पाद की सतत कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

14. शुरुआत के उद्देश्य से, और नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार, प्राधिकरण ने भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है। प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को लाभ में उचित वृद्धि के साथ समायोजित माना है

निर्यात कीमत

15. आवेदक ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए बाजार आसूचना के अनुसार सूचित सीआईएफ कीमत का दावा किया है । निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है ।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है । इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है ।

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । आवेदक ने दावा किया है कि उत्पादन, बिक्री, लाभप्रदता, निवेश पर आय, मालसूची के संग्रहण और क्षमता उपयोग के संबंध में उसके निष्पादन पर घरेलू उद्योग

के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है ।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसी कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं ।

ज. जांच की अवधि

19. आवेदक ने जांच की अवधि के लिए 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक का प्रस्ताव किया था । तथापि, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 की है। क्षति जांच अवधि में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है।

झ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए एडी नियामावली, 1995 के नियम 6 के अंतर्गत यथाउल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in and jd13-dgtr@gov.in पर तथा उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in, और adg13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का

वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. <u>समय सीमा</u>

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ए डी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in और jd13-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और adg13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के

भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और ए डी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. **<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>**

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले वर्तमान जांच के किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. ऐसे अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए । ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसे अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

32. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के आधार पर इस आशय के कारणों का एक पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

33. गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और उचित कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

ड. <u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें ।

ढ. <u>असहयोग</u>

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी